संख्या-42 /2026/|/1275787/2026/001-71-2099/1/2026

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक-23-03-2026

विषयः-संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के पुराने डायलिसिस भवन में न्यूरोसर्जरी आई0सी0यू0 के 14 अतिरिक्त बेड्स बढाये जाने हेतु उच्चीकरण का कार्य से सम्बन्धित कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सिविल/हास्पिटल/ई(ए0ए0)03/631/2025, दिनांक 30.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के पुराने डायलिसिस भवन में न्यूरोसर्जरी आई0सी0यू0 के 14 अतिरिक्त बेड्स बढाये जाने हेतु उच्चीकरण के कार्यो हेतु धनराशि रू0 718.36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ परिसर में पुराने डायलिसिस भवन में न्यूरोसर्जरी आई0सी0यू0 के 14 अतिरिक्त बेड्स का उच्चीकरण कार्य कराये जाने हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा अनुमोदित लागत धनराशि रू0 598.62 लाख लाख (रूपये पॉच करोड़ अठानवे लाख बासठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत 24-वृहद निर्माण योजनान्तर्गत प्राविधानित में से धनराशि रू0 299.31 लाख (रुपये दो करोड़ निन्यानबे लाख इकतीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1. आगणन में 14 बेड्स के उच्चीकरण हेतु क्रियाशील न्यूरोसर्जरी आई0सी0यू0 में ही अपग्रेडेशन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित हिड्रेन्स चार्जेज को प्रभाग द्वारा यद्यपि अनुमन्य नहीं किया गया है, परन्तु मत है कि न्यूनतम आवश्यकतानुसार एवं वास्तविकता के आधार पर यदि हिड्रेन्स के कारण कोई लागत आती है, तो इसकी प्रतिपूर्ति आकस्मिक व्यय से की जाये।
2. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन में दिव्यांगजन हेतु हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना की प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

5. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।
6. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित करायें। साथ ही निदेशक, संस्थान का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो पर वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जायें। जी0एस0टी0 के संबंध में वित्त विभाग (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम लागत रू0 35.35 लाख एवं आई0सी0यू0 पेन्डेन्ट सिस्टम लागत रू0 179.99 लाख बॉट आउट श्रेणी में आते हैं। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी सस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निदेशक, संस्थान निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।
9. प्रायोजना का निर्माण कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड/अन्य सम्बन्धित कोड के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था का है।
10. निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
11. संदर्भित प्रायोजना का गठन कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग (भवन वर्ग) के पत्र दिनांक 10-10-2023 तथा पत्र दिनांक 26-10-2023 के द्वारा डी0एस0आर0 की दरों में फैक्टर/कास्ट इन्डेक्स एवं कार्यालय प्रमुख अभियंता, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11-07-2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दरों में 3 प्रतिशत की वृद्धि का समावेश करते हुए आगणन का गठन किया गया है। कतिपय ऐसी कार्यमदें उक्त दरों में उपलब्ध नहीं है, उन्हें बाजार दरों/कोटेशन के आधार किया जाय।
12. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से 18 माह में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
13. निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणी क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा
14. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों क परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ निदेशक, संस्थान का होगा।
15. . प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।
16. प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है. जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

17. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

18. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यिय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

19. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों व अन्य निर्माण के संबंध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,99,31,000 (रुपये दो करोड़ निन्यानबे लाख इकतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-3-351-X-2025-26-दिनांक:6-3-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-42 /2026/1/1275787/2026/001-71-2099/1/2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमि0 लखनउ।
8. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in